(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 30/2021– State Tax

Dated: the 5 January 2022

No. F.3(140)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/ 07 - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from 1st day of August, 2021.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 80, the following rule shall be substituted, namely: -

"**80. Annual return.**- (1) Every registered person, other than those referred to in the second proviso to section 44, an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year as specified under section 44 electronically in **FORM GSTR-9** on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person paying tax under section 10 shall furnish the annual return in **FORM GSTR-9A.**

(2) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish annual statement referred to in sub-section (5) of the said section in **FORM GSTR -9B.**

(3) Every registered person, other than those referred to in the second proviso to section 44, an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, whose aggregate turnover during a financial year exceeds five crore rupees, shall also furnish a self-certified reconciliation statement as specified under section 44 in **FORM GSTR-9C** along with the annual return referred to in sub-rule (1), on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.".

3. In the said rules, in **FORM GSTR-9**, in the instructions, -

(a) in paragraph 4, -

IndiaCode

(A) after the word, letters and figures "or FY 2019-20", the word, letters and figures "or FY 2020-21" shall be inserted;

(B) in the Table, in second column, for the word and figures "and 2019-20" wherever they occur, the word and figures ", 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(b) in paragraph 5, in the Table, in second column, -

(A) against serial number 6B, after the letters and figures "FY 2019-20", the letters, figures and word "and 2020-21" shall be inserted;

(B) against serial numbers 6C and 6D, -

(I) after the word, letters and figures "For FY 2019-20", the word and figures "and 2020-21" shall be inserted;

(II) for the word and figures "and 2019-20", the figures and word ", 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(C) against serial number 6E, for the letters and figures "FY 2019-20", the letters, figures and word "FY 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(D) against serial number 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, in the entry, for the figures and word "2018-19 and 2019-20", the figures and word "2018-19, 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(c) in paragraph 7, -

(A) after the words and figures "April 2020 to September 2020.", the following shall be inserted, namely: -

"For FY 2020-21, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** between April 2021 to September 2021.";

(B) in the Table, in second column, -

(I) against serial numbers 10 and 11, after the entries, the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2020-21, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April2021 to September 2021 shall be declared here.";

(II) against serial number 12, -

(1) after the words, letters and figures "For FY 2019-20, the registered person shall have an option to not fill this table.", the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2020-21, aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April 2021 to September 2021 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.";

(2) for the figures and word "2018-19 and 2019-20", the figures and word "2018-19, 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(III) against serial number 13, -

(1) after the words, letters and figures "reclaimed in FY 2020-21, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2020-21,", the following entry shall be inserted, namely: -

"For FY 2020-21, details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April 2021 to September 2021 shall be declared here. Table 4(A) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2020-21 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2021-22, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2021-22.";

(2) for the figures and word "2018-19 and 2019-20", the figures and word "2018-19, 2019-20 and 2020-21" shall be substituted;

(d) in paragraph 8, in the Table, in second column, for the figures and word "2018-19 and 2019-20" wherever they occur, the letters, figures and word "2018-19, 2019-20 and 2020-21" shall be substituted.".

4. In the said rules, in **FORM GSTR-9C**, -

(i) in Part A, in the table -

(a) in Sl no 9, after the entry relating to serial number K, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely: -

"K-1	Others					.":

(b) in Sl no 11, after entry relating to "0.10%", the following entry shall be inserted, namely: -

"Others					.":

(c) against Pt. V, -

(I) in the heading, for the words “Auditor’s recommendation on additional Liability due to non-reconciliation”, the words “Additional Liability due to non-reconciliation” shall be substituted;

(II) after entry relating to “0.10%”, the following entry shall be inserted, namely: -

“Others					.”;

(ii) after the table, for the portion beginning with “Verification:” and ending with “and balance sheet etc.”, the following shall be substituted, namely: -

“Verification of registered person:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct and nothing has been concealed there from. I am uploading this self-certified reconciliation statement in **FORM GSTR-9C**. I am also uploading other statements, as applicable, including financial statement, profit and loss account and balance sheet, etc.”;

(iii) in the instructions, -

(a) in paragraph 4, in the Table, in second column, for the figures and word “2018-19 and 2019-20” wherever they occur, the figures and word “2018-19, 2019-20 and 2020-21” shall be substituted;

(b) in paragraph 6, in the Table, in second column, for the figures and word “2018-19 and 2019-20” wherever they occur, the figures and word “2018-19, 2019-20 and 2020-21” shall be substituted.

(c) for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely, -

“7. Part V consists of the additional liability to be discharged by the taxpayer due to non-reconciliation of turnover or non-reconciliation of input tax credit. Any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the Government shall also be declared in this table. Lastly, any other outstanding demand which is to be settled by the taxpayer shall be declared in this Table.”;

(iv) Part B Certification shall be omitted.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

IndiaCode

No. F.3(140)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/07 **Dated: the 5 January 2022**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *Vide* notification No. 3/2017-State Tax, dated the 22nd June, 2017, published *vide* No. F.3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 27/2021-State Tax, dated the 14th December, 2021, *vide* No. F.3(135)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/403, dated the 14th December, 2021.

IndiaCode

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 30/2021–राज्य कर

दिनांकः 5 जनवरी, 2022

सं0फा0 03(140)/वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस–I/67 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये 1 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"**80. वार्षिक विवरणी** – (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए धारा 44 के अधीन यथानिर्दिष्ट **प्ररूप जीएसटीआर–9**में वार्षिक विवरणी को इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ती के पश्चात् आगामी 31 दिसंबर को या उससे पहले, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा;

परन्तु धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति**प्ररूप जीएसटीआर–9क** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे ।

(2) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक उक्त धारा की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर–9ख** में प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, जिनका वित्तीय वर्ष के दौरान संकलित आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक है, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सेवा केन्द्रों के माध्यम से, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ती के पश्चात् आगामी 31 दिसंबर को या उससे पहले, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के साथ धारा 44 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट स्वप्रमाणित समाधान विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** को भी दाखिल करेगा ।

3. उक्त नियम में, **प्ररुप जीएसटीआर–9**, के अनुदेशों में –

(क) पैरा 4 में, –

(क) "या वित्तीय वर्ष 2019–20" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् "या वित्तीय वर्ष 2020–21" शब्दों, अक्षरों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी के दूसरे स्तंभ में "और 2019–20" शब्द और अंकों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, "2019–20 और 2020–21" शब्द और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) पैरा 5 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, –

(क) क्रम संख्या 6ख के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019–20" अक्षरों और अंकों के पश्चात् "और 2020–21" अक्षरों, अंकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 6ग और 6घ के सामने, –

(I) "वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् "और 2020–21" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(II) "और 2019–20" शब्दों और अंकों के स्थान पर "2019–20 और 2020–21" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 6ङ. के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019–20" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21" अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ., 7च, 7छ और 7ज के सामने प्रविष्टि में "2018–2019 और 2019–20" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2018–19, 2019–20 और 2020–21" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) पैरा 7 में, –

(क) "अप्रैल, 2020 से सितंबर,2020" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, भाग 5 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारों जिनको अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 के बीच **प्ररुप जीएसटीआर– 3ख** में संदत्त किया गया है, की विशिष्टियों से मिलकर बना है ।";

(ख) सारणी के दूसरे स्तंभ में, –

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले ही घोषित प्रदायों में जोड़ या संशोधन के ब्यौरे किन्तु जो अप्रैल 2021 से सितंबर, 2021 के **प्ररूप जीएसटीआर–1** की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे।";

(II) क्रम संख्या 12 के सामने,–

(1) "वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को न भरने का विकल्प होगा" शब्दों,अक्षरों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किन्तु अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** की सारणी 4(ख) इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।";

(2) "2018–19 और 2019–20" अंकों और शब्दों के स्थान पर "2018–19, 2019–20 और 2020–21" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने,–

(1) "वित्तीय वर्ष 2020–21 में उसका पुनः दावा किया गया था, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे, किन्तु जिनके लिए आईटीसी अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में लिया गया था, यहाँ घोषित किए जाएंगे। **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** की सारणी 4(क) का इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उप–धारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में किया गया था किन्तु जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।";

(2) "2018–19 और 2019–20" अंकों और शब्दों के स्थान पर "2018–19, 2019–20 और 2020–21" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) पैरा 8 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, "2018–19 और 2019–20" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं "2018–19, 2019–20 और 2020–21" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।"।

4. उक्त नियम के **प्ररूपजीएसटीआर –9ग** में,–

(i) भाग क की सारणी में –

(क) क्रम संख्या 9 में, क्रम संख्या ट से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: –

"ट–1	अन्य					।";

(ख) क्रम संख्या 11 में, "0.10%" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: –

"अन्य					।";

(ग) भाग 5 के सामने,

(I) शीर्ष में, "गैर–समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर लेखापरीक्षक की सिफारिश"शब्दों के स्थान पर "गैर–समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) "0.10%" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: –

"अन्य					।";

(ii) सारणी के पश्चात, "सत्यापनः" से प्रारम्भ होने वाले और "और तुलन पत्र आदि" के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का सत्यापनः

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर इसमें दी गई जानकारी सत्य और सही है और वहाँ से कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं **प्ररुप जीएसटीआर – 9ग** में समाधान विवरण की स्वप्रमाणित प्रति को अपलोड कर रहा हूं । मैं वित्तीय विवरण, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र आदि सहित अन्य विवरण, जैसा लागू हो, भी अपलोड कर रहा हूं।";

(iii) अनुदेशों में,–

(क) पैराग्राफ 4 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, "2018–19 और 2019–20" जहां कहीं वे आते हैं, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2018–19, 2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैराग्राफ 6 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में, "2018–19 और 2019–20" जहां कहीं वे आते हैं, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2018–19, 2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) पैराग्राफ 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,–

"7. भाग V में आवर्त के गैर–समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर–समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्वहन की जाने वाली अतिरिक्त देयता शामिल है। कोई भी प्रतिदाय जो गलती से लिया गया है और सरकार को वापस भुगतान किया जाएगा, उसे भी इस तालिका में घोषित किया जाएगा। अंत में, कोई अन्य बकाया मांग, जिसे करदाता द्वारा निपटाया जाना है, इस सारणी में घोषित की जाएगी।

(iv) भाग ख प्रमाणीकरण का लोप किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)

सं0फा0 03(140)/वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस–I/07 दिनांकः 5 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साईट।
12 गार्ड फाइल।

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)

टिप्पणः मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IVमें में अधिसूचना संख्या 3/2017–राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा सं0फा0 03(10)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 27/2021–राज्य कर, तारीख 14 दिसम्बर 2021, जो सं0फा0 03(135)/वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस–I/403, तारीख 14 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया था।